शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/279/2014

श्री शिवराज सिंह, —शिकायतकर्ता
अधिवक्ता, मकान नं0 03,
विनोबा नगर, बिलासपुर,
जिला बिलासपुर (छ0ग0)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, — अनावेदक
कार्यालय— डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस,
(डी0जी0पी0) पुलिस मुख्यालय रायपुर, (छ0ग0)

—:: आदेश ::—
(पारित दिनांक : 08/09/2014)

यह शिकायत, शिकायतकर्ता श्री शिवराज सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत अनावेदक जनसूचना अधिकारी, कार्यालय— डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस, (डी0जी0पी0) पुलिस मुख्यालय, रायपुर, (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता/आवेदक ने सूचना का अधिकार के तहत् सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 12.7.2013 द्वारा अनावेदक जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी चाही थी :—

''प्रदेश में स्थित थाने एवं पुलिस चौकी की संख्या की जानकारी प्रदान करते हुए यह जानकारी प्रदान करें कि थानों में अभिरक्षा पर लाये गये प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदिन चाय नस्ता व खाना हेतु शासन द्वारा जो अधिकतम कितनी राशि व्यय करने की व्यवस्था है एवं जितने घंटे अभिरक्षा में लेने के पश्चात् उक्त सुविधायें दी जाती है तथा इस मद में प्रत्येक थाना एवं चौकी द्वारा दिनांक 01.4.2012 से 31.12.2012 तक प्रत्येक माह जो राशि व्यय की गई एवं इस अवधि में प्रत्येक माह प्रत्येक थाना व चौकी द्वारा जितने लोगों को अभिरक्षा में लेकर उन्हें चाय नास्ता व खाना आदि दिया गया समस्त जानकारी प्रदान करें तथा इस अवधि में यदि अभिरक्षा में यदि महिला को लिया गया हो तो तिथि समय की जानकारी देते हुए प्रत्येक बार जिस महिला पुलिसकर्मी/अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में लिया गया उस पुलिसकर्मी/अधिकारी का नाम पद तथा पुलिस कंट्रोल रूम को उक्त अवधि में भेजी गई समस्त सूचना पत्रों की प्रति भी उपलब्ध करावें।''

इसके प्रत्युत्तर में अनावेदक जनसूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 3.7.2013 जो संभवत् लिपिकीय त्रुटिवश होना प्रतीत होता है क्योंकि हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 03.8.2013 अंकित है, और यही सही प्रतीत होती है, द्वारा शिकायतकर्ता/आवेदक को सूचित किया कि चाही गई जानकारी

किसी एक लोक सूचना अधिकारी से संबंधित न होकर एक से अधिक लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत् आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। पत्र में यह भी लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसूचना अधिकारी नियुक्त हैं। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत् संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ जनसूचना अधिकारियों को विहित शुल्क सहित पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

शिकायतकर्ता की शिकायत यह है कि अनावेदक को जहां भी सूचना उपलब्ध हो वहां प्रेषित करते हुए आवेदक को सूचित करता। अनावेदक का कृत्य अधिनियम के प्रावधान से भिन्न है और आवेदक को जो मार्गदर्शन दिया गया है वह कानून के विपरीत है। शिकायतकर्ता ने सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने, अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने एवं क्षतिपूर्ति की मांग की है।

शिकायत की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता/आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई। परंतु प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जा रहा है। अनावेदक जनसूचना अधिकारी श्री यू0के0 चंद्रवंशी उपस्थित हुए। उनका जवाब प्राप्त। उन्हें सुना गया।

जवाब में लेख है कि शिकायतकर्ता/आवेदक का सूचना मांगने का आवेदन पत्र दिनांक 12.7.2013, कार्यालय में दिनांक 18.7.2013 को प्राप्त हुआ। जिसके परिप्रेक्ष्य में सहायक जनसूचना अधिकारी (योजना/प्रबंध) पु0मु0 छ0ग0 रायपुर को इस शाखा के पत्र दिनांक 22.7.2013 के माध्यम से शिकायतकर्ता/आवेदक द्वारा चाही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पत्र प्रेषित किया गया। इस पत्र दिनांक 22.7.2013 के प्रत्युत्तर में सहायक जनसूचना अधिकारी (योजना/प्रबंध) पु0मु0 छ0ग0 नया रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 30.7.2013 के माध्यम से वांछित जानकारी थाना एवं चौकी स्तर पर उपलब्ध होने के कारण जिला ईकाई से प्राप्त करने हेतु लेख किया गया था। उपरोक्त पत्र दिनांक 22.7.2013 एवं 30.7.2013 की प्रतिलिपि जवाब के साथ संलग्न है। जवाब में यह भी लेख है कि वांछित जानकारी का संबंध छ0ग0 राज्य के समस्त थाना एवं चौकी स्तर से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत् आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर आवेदक को प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ जनसूचना अधिकारियों को पृथक–पृथक आवेदन पत्र विहित शुल्क सहित प्रस्तुत करने हेतु सलाह दिया गया है।

प्रस्तुत शिकायत तथा जवाब का अवलोकन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद है। अधिनियम की धारा 6(3) निम्नानुसार हैः–

6(3) Where an application is made to a public authority requesting for an information,—

***(i)* which is held by another public authority; or**

***(ii)* the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority,**

the public authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer:

उपरोक्त उपधारा में शब्द "to other public authority" का उपयोग किया गया है। यहां public authority जिसे आवेदन या उसका अंश अंतरित किया जाना है व एकवचन है अर्थात् अंतरण किसी एक public authority को ही संभव है। यदि ऐसी जानकारी मांगी जाती है जो कई जनसूचना अधिकारियों से संबंधित हो तो सभी को आवेदन अंतरित करने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रं0 10/2/2008–आई0आर0 दिनांक 12 जून 2008 द्वारा जो निर्देश दिये गये हैं उसके मुख्य अंश निम्नानुसार है :–

3(iii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोकप्राधिकरणों को अलग अलग आवेदन करे। यदि मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है बल्कि सूचना के अलग अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन दे। स्मरणीय है कि अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग–अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हों एकत्र किया जाना सूचना का सृजन माना जायेगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में सूचना का संबंध किसी 'लोक प्राधिकरण विशेष' से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के अंतर्गत आवेदन को अतिरिक्त किये जाने का मामला नहीं बनता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उप–धारा (3) में 'दूसरे लोक प्राधिकरण' का संदर्भ एकवचन में है ना कि बहुवचन में।

उपरोक्त के प्रकाश में इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा जो कार्यवाही की गई है व जो सलाह शिकायतकर्ता को दी गई है वह सर्वथा उचित पाई जाती है। अतः शिकायत पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं पाई जाती। शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।

आदेश तद्नुरूप।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त